राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1507 / III / 14 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19.5.14	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के पत्र कमांक 207/अ0वि0अ0/2014 दिनांक 6-5-14 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्कों पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर व्दारा तहसीलदार छतरपुर एंव मुख्य नगरपालिका अधिकारी छतरपुर को प्रेषित पत्र कमांक 207/अ0वि0अ0/2014 दिनांक 6-5-14 के अवलोकन पर पाया गया कि यह पत्र उनके व्दारा प्रकरण कमांक 268 बी 121/12-13 में पारित आदेश दिनांक 10-1-14 के कियान्वयन हेतु जारी कार्यपालिक दिशा निर्देश वावत् है – अपितु न्यायालयीन आदेश नहीं है जिसके विरूद्व निगरानी अग्राह्य है। यदि आवेदक अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्रकरण कमांक 268 बी 121/12-13 में पारित आदेश दिनांक 10-1-14 से दुखी है तब वह सक्षम न्यायालय में अपील/निगरानी करने हेतु स्वतंत्र है। 4/ उपरोक्त कारणों से निगरानी अप्रचलनशील पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे। सदस्य	